

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी:- पंकज शर्मा, RAS

प्रकरण संख्या 34/2020 वाद

कन्हैयालाल सिलावट

// बनाम //

मु0 कौशल्या देवी व अन्य



वाद अन्तर्गत धारा 53,188 रा0का0अधि0

निर्णय

दिनांक 22.06.2020

वादी के आवेदन पत्र पर पत्रावली सीगे से तलब की गई। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर एक आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगणों के मध्य आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। इसलिए वादी अपने वाद को आगे नहीं चलाकर इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज कराना चाहते हैं। अतः वादी का वाद विद्वा बाबत स्वीकार किया जाकर वादी का वाद इसी स्टेज पर विद्वा कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
निम्बाहेड़ा

